<u>न्यायालयः प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला</u> <u>भिण्ड (म०प्र०)</u>

(समक्ष:- सतीश कुमार गुप्ता)

<u>वैवाहिक प्र0क0 100041 / 16</u> संस्थापन दिनांक 05.07.2016

WIND STATE

राजू सिंह सिकरवार पुत्र केशव सिंह सिकरवार आयु 26 वर्ष जाति ठाकुर निवासी ग्राम आवेदक एण्डोरी परगना गोहद जिला, भिण्ड (म0प्र0)

।। विरुद्ध ।।

श्रीमती सोनी पत्नी राजू सिंह सिकरवार पुत्री पूरन सिंह तोमर आयु 24 वर्ष जाति तोमर निवासी ग्राम एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड, हाल निवासी—जी.आई.डी.सी. वटवा हनुमान नगर जय अम्बे पान अनावेदिका पार्लर के बगल से अहमदाबाद गुजरात

आवेदक की ओर से श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता। अनावेदिका की ओर से श्री के०के० शुक्ला अधिवक्ता।

//निर्णय//

(आज दिनांक 29.01.2018 को घोषित)

01. आवेदक की ओर से, अनावेदिका के विरूद्ध यह याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत उनके मध्य हुए विवाह को विच्छेदित किये जाने हेतु पेश की गई है।

- 02. प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य यह भली भांति स्वीकृत है कि आवेदक राजू सिंह का अनावेदिका श्रीमती सोनी के साथ दिनांक 13.05.2006 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सप्तपदी प्रथा से विधिवत विवाह संपन्न होने के कारण वे परस्पर पति—पत्नी हैं तथा उनके संसर्ग से वर्ष 2012 में "गुड़िया" नामक पुत्री पैदा हुई है।
- आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक का विवाह अनावेदक के साथ दिनांक 13.05.06 को हिंदू रीति रिवाज अनुसार विधिवत संपन्न हुआ था। विवाह के बाद से अनावेदिका, आवेदक के साथ ग्राम एण्डोरी तथा गोहद चौराहा पर रही और दोनों के संसर्ग से ''गुड़िया'' नामक एक लड़की वर्ष 2012 में पैदा हुई। अनावेदिका काफी चंचल व जिद्दी किस्म की महिला है और हमेशा अहमदाबाद रहने की जिद करती रहती है। आवेदक ने उसके साथ अहमदाबाद में रहने से मना कर दिया और कहा कि उसका ग्वालियर में वर्कशॉप है व ग्वालियर में ही रहेंगे। "गुड़िया" के पैदा होने से तीन महीने बाद अनावेदिका के माता पिता उसे लेने आये तो उसने अनावेदिका को खुशी-खुशी माता-पिता के साथ संपूर्ण सोने-चांदी के जेवरात सहित भेज दिया। तत्पश्चात् वर्ष 2012 के क्वार के महीने में आवेदक व उसका पिता उसे लेने अहमदाबाद गये तो अनावेदिका व उसके माता पिता ने उसे भेजने से मना कर दिया और कहा कि आवेदक के गांव नहीं जायेगी व यहीं पर रहेगी। इसके बाद पुनः आवेदक सन 2013 में मकर संक्रांति पर लेने गया तो अनावेदक व उसके माता-पिता ने कहा कि लड़की को आवेदक के साथ नहीं भेजेंगे, क्योंकि लड़की छोटी है। उसके बाद अंतिम बार पुनः आवेदक, अनावेदिका को लेने गया तो अनावेदिका ने उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार किया और लडाई झगडा किया और साथ चलने से मना कर दिया और कहा कि वह अनावेदिका अपनी अन्यत्र शादी करेगी। इस प्रकार अनावेदिका, आवेदक को विगत 2-3 साल से दाम्पत्य सुखों से वंचित किये हुये हैं व पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है। इस कारण से आवेदक द्वारा पूर्व में भी एक आवेदन धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना हेतु पेश किया था, जिसमें भी अनावेदिका उपस्थित नहीं हुई थी और न ही दाम्पत्य संबंधों का पालन किया है। अतः उपरोक्त आधारों पर विवाह विच्छेद की डिक्री दिये जाने की

प्रार्थना की गई है।

अनावेदिका द्वारा लिखित जवाब पेश कर स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर आवेदक की याचिका में वर्णित शेष समस्त अभिवचनों को अस्वीकृत करते हुये प्रतिरक्षा में अभिवचन किये हैं कि वह सीधी सादी महिला है व उसने आवेदक से अहमदाबाद में रहने की कभी जिद नहीं की है। वह तो आवेदक के साथ कहीं भी रहने को तैयार है, लेकिन आवेदक ही उसे नहीं रखना चाहता है। वह अपने पिता के साथ पति / आवेदक की सहमति से ही गई थी एवं अपने साथ कोई भी सोने-चांदी के जेवरात नहीं ले गई थी। आवेदक उसे लेने कभी नहीं आया है और वह आज भी आवेदक के साथ किसी भी स्थान पर रहकर पत्नी धर्म का पालन करने को तैयार है। अनावेदिका द्वारा आवेदक अथवा उसके माता-पिता के साथ कभी भी किसी प्रकार का कोई झगडा नहीं किया गया है। आवेदक, अनावेदिका को ही संभोग से वंचित किये है और पति धर्म का पालन नहीं कर रहा है। आवेदक ने उसकी जानकारी के बिना उसके विरूद्ध झूंठे आधारों पर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना संबंधी एकपक्षीय आदेश पारित करा लिया गया है एवं अनावेदिका, आवेदक के साथ रहकर पत्नी धर्म का पालन करने के लिये सदैव तत्पर रही है और आज भी है। अतः प्रस्तृत याचिका को असत्य आधारों पर पेश किया जाना बताते हुये उसे निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

05. प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचनों व दस्तावेजों के आधार पर विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न निर्मित किये गये, जिनके संबंध में इस न्यायालय द्वारा निकाले गये सकारण निष्कर्ष निम्नवत् हैं:—

क0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01	क्या अनावेदिका के द्वारा आवेदक का परित्याग कर उसके प्रति कूरता का व्यवहार किया जा	''नहीं''
	रहा है ?	100
02	क्या अनावेदिका के द्वारा की गई प्रताड़ना एवं कूरता के फलस्वरूप आवेदक का उसके साथ रह पाना असंभव है ?	''नहीं''
03	क्या अनावेदिका स्वेच्छयापूर्वक आवेदक के साथ रहने से इंकार कर रही है ?	''नहीं''

04	क्या आवेदक अनावेदिका से	विवाह	विच्छेद	''नहीं''
	करा पाने का अधिकारी है ?			Ed SI)
05	सहायता एवं व्यय ?		8	निर्णय की कंडिका 19 के
			20	अनुसार याचिका निरस्त
			0	की गई।

//सकारण विवेचन एवं निष्कर्ष//

06. प्रकरण में आवेदक पक्ष की ओर से याचिका के समर्थन में स्वयं आवेदक राजू आ0सा0—1 एवं अपने माता—पिता श्रीमती गीता आ0सा0—2 व केशव सिंह आ0सा0—3 एवं चचेरे भाई सोनू आ0सा0—4 को परीक्षित कराया गया, जबिक अनावेदक पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

वाद प्रश्न क0 1 लगायत 4

- 07. अभिलेखगत साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये विवेचन में तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त सभी परस्पर संबंधित वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08. जहाँ तक उक्त वादप्रश्नों का संबंध है, आवेदक राजू सिंह आ0सा0—1 का अपने मुख्य परीक्षण साक्ष्य शपथ पत्र में कहना है कि अनावेदिका काफी चंचल व जिद्दी किस्म की महिला है और हमेशा अहमदाबाद रहने की जिद करती रहती है और ग्वालियर में वर्कशॉप होने के कारण उसने उसके साथ अहमदाबाद में रहने से मना कर दिया है तो अनावेदिका संपूर्ण सोने—चांदी के जेवरात लेकर अहमदाबाद अपने माता—पिता के साथ चली गई है और बार—बार लिवाने पर भी आने को तैयार नहीं है, बल्कि अंतिम बार लिवाने जाने पर अनावेदिका ने उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार कर झगडा करते हुये अन्यन्न दूसरी शादी करने की धमकी दी है। इस प्रकार अनावेदिका चंचल स्वभाव की होने के कारण विगत दो—तीन साल से मायके में रह रही है एवं उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार करते हुये पत्नी धर्म का एवं सहचर्य धर्म का पालन नहीं कर रही है। तदनुसार विवाह विच्छेद किये जाने का निवेदन किया है।

- 09. आवेदक पक्ष के साक्षीगण श्रीमती गीता आ0सा0—2 व केशव सिंह आ0सा0—3 एवं सोनू आ0सा0—4, जो कि आवेदक के क्रमशः माता व पिता एवं चचेरा भाई है, ने भी अपने मुख्य परीक्षण साक्ष्य शपथ पत्र में आवेदक राजू आ0सा0—1 के उक्त कथनों का समर्थन किया है, लेकिन प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा क्रमांक 4 व 5 में मुख्य परीक्षण के विपरीत सोनू आ0सा0—4 का कहना है कि राजू सिंह की शादी वर्ष 2001 में हुई थी एवं वह नहीं बता सकता है कि अनावेदिका को लेने कौन—कौन गया था और कब—कब गया था। अतः मुख्य परीक्षण में प्रकट कथनों के संबंध में आवेदक साक्षी सोनू आ0सा0—4, जो कि आवेदक राजू का चचेरा भाई होकर परिवारजन है, की सत्यवादिता अधिक्षेपित होती है।
- आवेदक राजू सिंह आ०सा०–1 का अपने मुख्य परीक्षण साक्ष्य शपथ 10. पत्र में कहना है कि अनावेदिका ने उससे अन्यत्र दूसरी शादी कर लेने की धमकी दी है, लेकिन जहां एक ओर इस साक्षी के उक्त कथनों रंचमात्र भी समर्थन स्वयं उसके माता-पिता श्रीमती गीता आ०सा०-2 व केशव सिंह आ०सा०-3 सहित चचेरे भाई सोनू आ0सा0-4 के कथनों से नहीं होना पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर स्वयं आवेदक राजू सिंह आ०सा०–1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा कमांक 1 में प्रकट किया है कि उसकी शादी अनावेदिका के साथ अहमदाबाद में ही हुई थी और वह अहमदाबाद में करीब 10 वर्ष तक रहा है एवं प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अनावेदिका के पिता ने अहमदाबाद में उसके लिये गाड़ी रिपेयरिंग का गैरेज खुलवाया था, जिसे वह बंद करके गोहद रहने के लिये आ गया है। यदि वास्तव में अनावेदिका एवं उसके माता-पिता की भावना अनावेदिका की अन्यत्र दूसरी शादी करने की रही होती तो आवेदक को अनावेदिका के मायके पक्ष द्वारा कथित गैरेज को नहीं खुलवाया जाता। अतः अन्यत्र दूसरी शादी कर लेने बावत् धमकी अनावेदिका द्वारा दिये जाने के संबंध में आवेदक राजू सिंह आ0सा0-1 के उक्त कथन विश्वासस्वरूप के होना नहीं पाये जाते हैं, बल्कि उक्त संबंध में उसके द्वारा असत्य कथन किया जाना प्रकट है।

- 11. आवेदक राजू सिंह आ०सा०—1 का अपने कथनों में जहां एक ओर कहना है कि अनावेदिका श्रीमती सोनी चंचल किस्म की महिला है, वहीं दूसरी ओर आवेदक राजू सिंह का यह भी कहना है कि उसने अनावेदिका को उसके माता—पिता के साथ सोने—चांदी के संपूर्ण जेवरात सिंहत खुशी—खुशी भेज दिया था। आवेदक राजू सिंह आ०सा०—1 के उक्त कथन स्वभाविक नहीं होकर परस्पर विरोधाभाषी स्वरूप के होना पाये जाते हैं, क्योंकि कोई भी पित अपनी ऐसी पत्नी को जो चालाक किस्म की हो सोने—चांदी के संपूर्ण जेवरात के साथ खुशी—खुशी नहीं भेजेगा, बिक्क चालाक पत्नी द्वारा संपूर्ण सोने—चांदी के जेवरात लेकर मायके चले जाने पर ऐसा पित अवश्य ही सक्षम फॉरम के समक्ष अपनी पीड़ा को दर्ज कराता। विचाराधीन मामले में आवेदक पक्ष द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज अथवा प्रमाण पेश नहीं किया गया है, जिससे सक्षम फॉरम के समक्ष उक्त संबंध में पीड़ा दर्ज कराया जाना प्रकट होता हो।
- उपरोक्त के अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक राजू सिंह आ०सा0—1 का अपने कथनों में कहना है कि अनावेदिका सोने—चांदी के संपूर्ण जेवरात लेकर मायके पुत्री गुड़िया के जन्म से 3 महीने बाद चली गई है एवं आवेदक के चचेरे भाई सोनू आ०सा०–४ का कहना है कि अनावेदिका सोने–चांदी के संपूर्ण जेवरात लेकर मायके पुत्री गुड़िया के जन्म से दो-तीन माह बाद चली गई है, जबिक स्वयं आवेदक के माता-पिता श्रीमती गीता आ0सा0-2 व केशव सिंह आ०सा0-3 का कहना है कि अनावेदिका पुत्री गुड़िया का जन्म होने के बाद ही संपूर्ण सोने-चांदी के जेवरात लेकर मायके चली गई है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार जहां एक ओर उक्त चारों साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभाष होना पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर आवेदक पक्ष की ओर से अपने अभिवचनों तथा कथनों में यह भी कदापि स्पष्ट नहीं किया है कि अनावेदिका कौन-कौन से जेवरात लेकर चली गई है और न ही उक्त संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर पेश किया है, बल्कि स्वयं आवेदक की मां श्रीमती गीता आ0सा0-2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 2 में यह स्पष्ट रूप से गलत होना बताया है कि अनावेदिका अपने साथ संपूर्ण जेवरात एवं आभूषण लेकर चली गई थी। अतएव संपूर्ण सोने-चांदी के जेवरात लेकर अनावेदिका के चले जाने के संबंध में

आवेदक पक्ष के अभिवचन तथा कथन विश्वासप्रद स्वरूप के होना नहीं पाये जाते हैं, बल्कि उक्त संबंध में असत्य कथन किया जाना प्रकट है।

- आवेदक राजू आ0सा0–1 का अपने कथनों में कहना है कि 13. अनावेदिका के मायके चले जाने पर वह स्वयं अनावेदिका को लेने के लिये वर्ष 2012 में व उसके बाद वर्ष 2013 में एवं उसके बाद एक बार और अंतिम समय लिवाने गया था, लेकिन इस साक्षी के उक्त कथनों का समर्थन स्वयं उसके माता-पिता श्रीमती गीता आ0सा0-2 व केशव सिंह आ0सा0-3 सहित उसके चचेरे भाई सोनू आ०सा0-4 के कथनों से रंचमात्र भी नहीं होता है, क्योंकि उक्त तीनों साक्षीगण का अपने मुख्य परीक्षण में कहना है कि मायके चले जाने पर अनावेदिका को लिवाने के लिये प्रथम बार आवेदक का पिता गया था और द्वितीय बार आवेदक के रिश्तेदार गये थे एवं तृतीय बार स्वयं आवेदक गया था। इस प्रकार उक्त चारों साक्षीगण के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभाष होना पाया जाता है और सोनू आ0सा0-4 ने तो अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा कमांक 5 में अपने मुख्य परीक्षण के विपरीत यह भी प्रकट किया है कि उसे नहीं पता है कि अनावेदिका को लेने के लिये कौन-कौन गया था और कब-कब गया था तथा स्वयं आवेदक राजू सिंह आ0सा0-1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 3 में कथन दिनांक को यह बता पाने में असमर्थता प्रकट की है कि वह अनावेदिका को लिवाने के लिये अहमदाबाद किस महीने में व किस तारीख में गया था। अतः बार-बार लिवाने के लिये स्वयं आवेदक राजू सिंह को जाने के संबंध में स्वयं उसके कथन विश्वसनीय होना नहीं पाये जाते हैं।
- 14. आवेदक राजू सिंह आ०सा०—1 सिंहत उसके अन्य सभी साक्षीगण ने मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है कि अनावेदिका काफी चंचल किस्म की एवं जिद्दी किस्म की मिहला है और वह आवेदक के साथ कूरतापूर्ण व्यवहार कर पत्नीधर्म का पालन नहीं कर रही है, लेकिन प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं आवेदक राजू सिंह आ०सा०—1 ने पैरा कमांक 1 में स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि अनावेदिका शादी के समय से अर्थात् वर्ष 2006 से वर्ष 2012 तक उसके साथ रही है और इस दौरान उनके मध्य कभी कोई लड़ाई—झगडा या मनमुटाव नहीं हुआ है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा कमांक 2 में भी उक्त साक्षी ने यह प्रकट

किया है कि अनावेदिका गोहद चौराहे पर एवं उसके गांव एण्डोरी में करीब चार साल उसके साथ रही है। साथ ही यह स्पष्ट है कि दाम्पत्य जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान तो आपसी टकराव/मनमुटाव वाली बात संभव है, लेकिन 5-6 साल का अर्थात् दीर्घ समय गुजर जाने के पश्चात् मनमुटाव कारित होने वाली बात स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती है, विशेषकर उस अवस्था में जब शुरूआती वर्षों में कभी कोई मनमुटाव या झगडा ही न हुआ हो। अतः जिरह में प्रकट उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों के प्रकाश में आवेदक पक्ष के यह अभिवचन तथा कथन कदापि विश्वास योग्य नहीं रह जाते हैं कि अनावेदिका चंचल एवं जिद्दी किस्म की महिला है और वह आवेदक के साथ ग्राम एण्डोरी व गोहद चौराहा में नहीं रहना चाहती है, बल्कि उक्त संबंध में असत्य अभिवचन व कथन किया जाना प्रकट है। साथ ही इस संबंध में भी आवेदक राजू सिंह आ0सा0-1 द्वारा असत्य अभिवचन तथा कथन किया जाना प्रकट है। साथ ही इस संबंध में भी आवेदक राजू सिंह आ0सा0-1 द्वारा असत्य अभिवचन तथा कथन किया जाना प्रकट है। साथ ही इस संबंध में भी अवेदक राजू सिंह आ0सा0-1 द्वारा असत्य अभिवचन तथा कथन किया जाना प्रकट है कि उसने अनावेदिका से कहा था कि उसका ग्वालियर में वर्कशॉप है इसलिये ग्वालियर में ही रहेंगे, क्योंकि उसने प्रतिपरीक्षण के पैरा कमांक 2 में यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि उसने अपने शपथ पत्र में यह नहीं लिखवाया है कि उसका ग्वालियर में वर्कशॉप है।

15. आवेदक राजू सिंह आ०सा०—1 सिंहत आवेदक पक्ष के साक्षीगण का अपने कथनों में कहना है कि अनावेदिका आवेदक से अहमदाबाद में रहकर चलने के लिये जिद करती है, लेकिन प्रतिपरीक्षण के दौरान आवेदक राजू सिंह आ०सा०—1 सिंहत उसके माता—पिता श्रीमती गीता आ०सा०—2 व केशव सिंह आ०सा०—3 ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि आवेदक तथा अनावेदिका की शादी अहमदाबाद में ही हुई थी एवं आवेदक राजू अपने माता पिता सिंहत करीब 15—20 साल तक अर्थात् अनेक—अनेक वर्षों तक अहमदाबाद में रहा है और अनावेदिका भी उनके साथ रही है एवं स्वयं आवेदक राजू सिंह आ०सा०—1 का भी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा कमांक 3 में कहना है कि अनावेदिका के पिता ने अहमदाबाद में उसके लिये गाड़ी रिपेयरिंग का गैरेज खुलवाया था और जिसे वह बंद करके गोहद रहने के लिये आ गया है। ऐसी स्थित में यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि अनावेदिका, आवेदक को अपने साथ अहमदाबाद चलकर रहने के लिये कहती है तो इसे इस आशय की

संज्ञा नहीं दी जा सकती है कि वह ऐसा इसिलये कहती है कि वह दाम्पत्य जीवन संबंधी दायित्वों का पालन नहीं करना चाहती है, बिल्क दाम्पत्य जीवन रूपी रथ में पित—पत्नी दो समान पिहयों की तरह होते हैं और प्रत्येक को अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सलाह देने अथवा बात कहने का हक होता है तथा उपर के पैराओं में किये गये विवेचन के प्रकाश में आवेदक पक्ष के उपरोक्तानुसार अभिवचन तथा कथन विश्वासप्रद स्वरूप के होना नहीं पाये गये हैं। अतएव जिरह में प्रकट उक्त तथ्यों के प्रकाश में आवेदक पक्ष के इस संबंध में अभिवचन तथा कथन भी विश्वासप्रद स्वरूप के होना नहीं पाये जाते हैं कि अनावेदिका अहमदाबाद चलने के लिये जिद्द करने के कारण दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं कर रही है और वह जान बूझकर आवेदक से पृथक रह रही है।

- 16. आवेदक राजू सिंह आ०सा०—1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि शादी के बाद से अर्थात् वर्ष 2006 से 2012 तक उसके तथा अनावेदिका के मध्य कभी कोई लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव नहीं हुआ है एवं उनके संसर्ग से एक "गुड़िया" नामक पुत्री भी पैदा हुई है और प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं आवेदक राजू सिंह आ०सा०—1 ने स्वतः प्रकट किया है कि यदि अनावेदिका उसके साथ रहने को तैयार हो जाती है तो वह उसे अपने साथ रखने के लिये तैयार है। ऐसा ही कहना आवेदक राजू के पिता केशव सिंह आ०सा0—3 का है कि यदि अनावेदिका, आवेदक के साथ जाने को तैयार है तो वे अनावेदिका को अपने साथ ले जाने एवं रखने के लिये तैयार हैं और अनावेदिका श्रीमती सोनी ने अपने लिखित कथन में ही स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि वह आवेदक के साथ किसी भी स्थान पर रहकर पत्नी धर्म एवं सहचर्य धर्म का पालन करने के लिये सदैव तैयार रही है और वर्तमान में भी तैयार है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि उभयपक्ष के मध्य विवाह विच्छेद के अतिरिक्त अन्य सभी संभावनायें खत्म हो गई हैं और विवाह विच्छेद ही एक मात्र विकल्प बचा है।
- 17. आवेदक पक्ष का अपने अभिवचनों में यह भी कहना है कि अनावेदिका ने जान बूझकर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना संबंधी आदेश का पालन नहीं किया है, इस कारण भी आवेदक विवाह विच्छेद की डिक्री पाने का पात्र है, लेकिन अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदक पक्ष द्वारा अपने उक्त

अभिवचनों को प्रमाणित करने हेतु अभिलेख पर ग्राहय योग्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, बिल्क उक्त संबंध में कोई कथन भी अपने साक्ष्य शपथ पत्र में नहीं किये हैं और अनावेदिका ने अपने लिखित कथन में प्रकट किया है कि आवेदक ने अन्य राज्य गुजरात में रहते हुये उसकी जानकारी के बिना एक पक्षीय रूप से आदेश पारित करा लिया है एवं वह आवेदक के साथ किसी भी स्थान पर रहकर पत्नी धर्म का पालन करने के लिये सदैव तत्पर रही है और वर्तमान में भी है। प्रकरण के साथ संलग्न निर्णय दिनांकित 11.01.16 की फोटोप्रित के अवलोकन से भी पाया जाता है कि उक्त आदेश आवेदक द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुये एकपक्षीय रूप से प्राप्त किया है और उस समय अनावेदिका अहमदाबाद में अर्थात् अन्य प्रांत में निवासरत रही है एवं प्रकाशन के माध्यम से तामीली पुअर श्रेणी के अंतर्गत आती है व उक्त आदेश दिनांक 11.01.16 से एक वर्ष की अवधि गुजर जाने के पूर्व ही दिनांक 28.06.16 को विवाह विच्छेद हेतु वर्तमान याचिका पेश कर दी गई है। अतः उक्त आधार पर भी विवाह विच्छेद की प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं रह जाती है।

18. उपरोक्त के अलावा मामले में यह उल्लेखनीय है कि अनावेदक पक्ष की ओर से अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है, लेकिन अभिलेख के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 30.08.17 की आदेश पत्रिका में यह उल्लेख है कि अनावेदिका को बार—बार पुकार लगाये जाने पर अनावेदक पक्ष के उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत कर दिये जाने के पश्चात् अनावेदिका पक्ष की ओर से उक्त दिनांक को ही 04:45 बजे एक आवेदन पत्र आदेश 09 नियम 07 सी0पी0सी0 का पेश होने पर प्रकरण उक्त आवेदन के जवाब एवं तर्क हेतु पेशी दिनांक 12.09.17 के लिये नियत किया गया और उक्त दिनांक को विपक्ष की अनापत्ति को देखते हुये आवेदन पत्र को स्वीकार कर एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त करते हुये लेख किया गया है कि अनावेदिका की साक्ष्य आज भी उपस्थित नहीं है। अतः अनावेदिका का साक्ष्य अवसर समाप्त किया जाता है, जबिक उक्त दिनांक को प्रकरण अनावेदक साक्ष्य हेतु नियत नहीं था, बल्कि एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने संबंधी आवेदन पत्र आदेश 09 नियम 07 सी0पी0सी0 के जवाब तर्क हेतु नियत था। अतः मामले में अनावेदक

पक्ष को खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाना भी दर्शित है और यह भली भांति सुस्थापित कियाजा चुका है कि <u>आवेदक / वादी</u> पक्ष को अपना मामला स्वयं के बलबूते साबित करना होता है। अतएव उक्त संबंध में आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये तर्क तात्विक नहीं पाये जाने से अमान्य किये जाते हैं।

वादप्रश्न कमांक:-5

19. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं वादप्रश्न क्रमांक 1 लगायत 4 के निराकरण अनुसार अपनी साक्ष्य से यह याचिका आवेदक पूर्णतः प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका निरस्त की जाती है। आवेदक अपने साथ—साथ अनावेदिका का वाद व्यय भी वहन करेगा। अभिभाषक शुल्क प्रमाण पत्र अनुसार अथवा तालिका अनुसार, जो भी कम हो, रूपये 500/— की सीमा तक जयपत्र में अंकित किया जाये।

तद्नुसार जयपत्र निर्मित किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड

All Alerton States of the Control of